राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2065/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
बालकिशन यादव निर्मल निकेतन] ग्रा-पो-- उदयरामसर बीकानेर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान सूचना आयोग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 02-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल. मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 1-9-17 से, राजस्थान सूचना आयोग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलार्थियों एवं परिवादियों के साथ पत्र व्यवहार करते समय कौन कौन से पत्र पंजीकृत डाक तथा कौन से पत्र अपंजीकृत डाक से भेजे जाते है, इस सम्बन्ध में यदि कोई परिपत्र हो तो उसकी प्रति आदि के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें पत्रांक 39551 दिनांक 14-12-17 से सूचना का प्रेषण किया गया है जो उचित नहीं है अतः अपीलार्थी को आवेदन शुल्क तथा किये गये खर्च की राशि 80/- रू0 वापस दिलायी जावे। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14-12-17 एवं पुनः पत्र दिनांक 23-3-18 से बिन्दुवार वांछित सूचना का प्रेषण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 25-4-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रेषित है परन्तु अपीलार्थी के आक्षेप देखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध में वेबसाईट का पता सूचति करें तथा बिन्दु संख्या 4 के क्रम

में परिपत्र 'अ' की प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अधिप्रमाणित व हस्ताक्षरित कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अपीलार्थी द्वारा 80/- रू0 लौटाने की मांग विधि संगत नहीं है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त